अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

[illegible]/225 सन्तोष v/s राधाकिशन

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	2021/250 R- 1 से 3, 8, 9, 12 से 15. अप्रा० — श्री O P भट्ट — श्री — Ur. 17	
8/12/25	पत्रावली पेश की गई। अधि० अपी० उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र 0.5 R 19 CPC (अस्थायी निषेधाज्ञा) व टाली। नोटिस इश्यू हो 4 से 7 रजि० की दिनांक 13/1/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
13/1/26	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को कई बार हांक-पुकार आवाजें दिलाई गई, किन्तु अपीलांट अदम हाजिर उपस्थित नहीं हुए, अतः अपील अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तकमील [illegible] रिकार्ड नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner

20/12/21

1033 न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अजमेर

श्री ओ.पी. भरद्वाज ने अपील पेश की। अपील मय कॉलरिपोर्ट टोकर पेश हो।

अपील टी0ए0 संख्या 250 / 2021 जिला अजमेर

2021/250

श्री अन्तोन पी दास पुत्र प्रभु दास जाति ईसाई, निवासी ग्राम सनोद तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।

— अपीलांट

23/11/21

बनाम्

250/2021
23/11/2021

AD 1. राधाकिशन पुत्र अमरा

AD 2. गुलाब पुत्री अमरा

AD 3. चन्ता पुत्री अमरा

अप्रा 4. बाली पुत्री उगमा

अप्रा 5. संतोक पुत्री उगमा

" 6. सोनी पुत्री उगमा

अप्रा 7. मनभर पुत्री उगमा

AD 8. सुखदेवी पत्नि रामधन

AD 9. शैतान पुत्र रामधन

अप्रा 10. कमला पुत्री रामधन

" 11. रामदेवी पुत्री हजारी

AD 12. ग्यारसीलाल पुत्र रामनाथ

AD 13. रणजीत पुत्र रामनाथ

AD 14. भागचन्द पुत्र हजारी

AD 15. रामस्वरूप पुत्र हजारी

अप्रा 16. मंगला पुत्र हजारी

समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम सनोद तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।

17. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार महोदय, नसीराबाद।

— रेस्पोडेन्ट्स

.....

Scanned with CamScanner

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, नसीराबाद दिनांक 21.5.2016 प्रकरण संख्या 1/2013

मान्यवर,

अपीलांट की ओर से निम्न निवेदन है :–

(अ) यह कि अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट द्वारा विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, नसीराबाद के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट के स्वत्व व अधिकार के खाता संख्या 53/58 के खसरा नम्बर 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224 व 1257 पर अपीलांट अपने हिस्से अनुसार बतौर काबिज व स्वामी चला आ रहा है। अपीलांट अपने खेतों में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 1226 में होकर रास्ते का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है जो करीबन 20 फीट चौडा है तथा अपीलांट द्वारा अपने चाह पर जाने हेतु इस खसरा नम्बर में से आवागमन पुश्तैनी समय से करता चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नक्शा ट्रेस जिसमें भूमियों को दर्शित किया गया है व रास्ता स्पष्ट किया गया है भी प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भी निवेदन किया गया कि खसरा नम्बर 1226 के अलावा अपीलांट के पास अन्य कोई आवागमन का रास्ता विद्यमान नहीं है एवं अपीलांट को उक्त रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। अतः माननीय न्यायालय निर्देशानुसार रास्ता उदघोषित करें एवं डी.एल.सी. से अप्रार्थी /रेस्पोडेन्ट्स को भुगतान करने के आदेश प्रदान करें। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नियमानुसार नोटिस जारी किये एवं तहसीलदार महोदय

Scanned with CamScanner